

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 384 /अलीगढ़/14208/2015, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 10, 2017
सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ ।

विषय : अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी 0.01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/05/2017/एफसी/181, दि० 27.07.2017
इस कार्यालय का पत्रांक-207/अलीगढ़/14208/2015, दि० 28.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० 14.07.2017 द्वारा वांछित सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

भवदीय,

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 384 / , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि ऑनलाइन पोर्टल स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित कराने की कृपा करें।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।